

Note : The amount of interest accruing on a certificate of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the Table above.

Note : The principal rules were issued vide G.S.R. 309(E) dated 24-4-81 and amended vide G.S.R. 751(E) dated 10-12-82, G.S.R. 259(E) dated 11-3-83, G.S.R. 797(E) dated 24-10-83, G.S.R. 715(E) dated 4-9-1985 and G.S.R. 195(E) dated 12-2-1986.

[F. No. 3/15/87-NS]

सा. का. नि. 365 (अ).—केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, राष्ट्रीय बचत पत्र (7 निर्गम) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत पत्र (7 निर्गम) संशोधन नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय बचत पत्र (7 निर्गम) नियम 1981 के नियम 19 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अस्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(3) जहां किसी भी अंकित मूल्य का कोई पत्र 1 अप्रैल, 1987 को या उसके पश्चात् खरीदा गया है वहां ऐसे पत्र पर ब्याज, पत्र की तारीख से प्रत्येक छह मास के अंत में संदेय होगा, किन्तु उस परिपक्वता कालावधि के परे नहीं जिसके लिए पत्र धारित है। ऐसा ब्याज पत्र के अंकित मूल्य के 11 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से संगणित किया जाएगा।

टिप्पण :—मूल्य नियम सा. का. नि. 310 (अ) तारीख 24-4-81 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका सा. का. नि. 752 (अ) तारीख 10-12-82, सा. का. नि. 260 (अ) तारीख 11-3-83 सा. का. नि. 798 (अ) तारीख 24-10-83, सा. का. नि. 716 (अ) तारीख 4-9-85, सा. का. नि. सं. 85 (अ) तारीख 3-2-86 और सा. का. नि. 196 (अ) तारीख 12-2-86 द्वारा संशोधन किया गया था।

[फा. सं. 3/16/87—एम. एस.]

G.S.R. 365(E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Savings Certificates (VII Issue) Rules, 1981, namely :—

1. (1) These rules may be called the National Savings Certificates (VII Issue) Amendment Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Savings Certificates (VII Issue) Rules, 1981, in rule 19, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

“(3) where a certificate of any denomination has been purchased on or after the 1st day of April, 1987, the interest on such certificate shall be payable at the end of every six months from the date of the certificate but not beyond the maturity period for which the certificate is held. Such interest shall be calculated at the rate of 11 per cent per annum of the face value of the certificate”.

Note : The principal rules were published vide G.S.R. 310(E), dated 24-4-81 and amended vide G.S.R. 752 (E) dated 10-12-82, G.S.R. 260(E) dated 11-3-83, G.S.R. 798(E) dated 24-10-83 and G.S.R. 716(E) dated 4-9-85, G.S.R. No. 85(E) dated 3-2-86 and G.S.R. 196(E) dated 12-2-86.

[F. No. 3/16/87-NS]

सा. का. नि. 366 (अ) :—केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, इंदिरा विकास पत्र नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इंदिरा विकास पत्र (संशोधन) नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. इंदिरा विकास पत्र नियम, 1986 के नियम 8 को उसके उपनियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् किन्तु परन्तुक में पहले निम्नलिखित उपनियम अंत स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(2) जहां 1 अप्रैल, 1987 को या उसके पश्चात् किसी भी अंकित मूल्य का कोई पत्र खरीदा गया है, तो उमका, उसके जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष 6 मास की अवधि की समाप्ति पर किसी भी समय जारी किए जाने वाले डाकघर के समक्ष प्रस्तुत करके भुनाया जा सकता है।”

टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1183 (अ) तारीख 5-11-1986 द्वारा प्रकाशित और सा. का. नि. 1252 (अ) तारीख 5-12-86 द्वारा संशोधित किए गए थे।

[फा. सं. 3/17/87 एम. एस.]

टी. धार. शाहनी, निदेशक